प्रारूप "ख"
{(देखिये नियम – 9 (3), (4) और (6))}
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़
तहसील – बहरोड़
जिला – अलवर

क्रमांक :– भू0रू0 /2017/ 170-173 दिनांक :– 6/7/2017

संपरिवर्तन आदेश

सत्यम शिवम शिक्षा समिति ग्राम जखराना तहसील बहरोड़ जिला अलवर जरिये चेयरमैन राजकुमार पुत्र श्री झाबर सिंह निवासी मौहल्ला गुरूनानकपुरा नारनौल जिला महेन्द्रगढ के आवेदन पर उसकी खातेदारी की कृषि भूमि में धारित भूमि का राजस्थान भू0 – राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये एतद् द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :–

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता / पति के नाम सहित पूरा पता	सत्यम शिवम शिक्षा समिति ग्राम जखराना तहसील बहरोड़ जिला अलवर जरिये चेयरमैन राजकुमार पुत्र श्री झाबर सिंह निवासी मौहल्ला गुरूनानकपुरा नारनौल जिला महेन्द्रगढ।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा	23/467 रकबा 0.07 है0 का सम्पूर्ण भाग 700 वर्गमीटर, 24/468 रकबा 0.32 है0 का सम्पूर्ण भाग 3200 वर्गमीटर, 25/469 रकबा 0.11 है0 का सम्पूर्ण भाग 1100 वर्गमीटर अर्थात कुल 5000 वर्गमीटर
	(क) ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम	ग्राम बालपुरा ग्राम पंचायत भगवाड़ी खुर्द तहसील बहरोड़
	(ख) भूमि का खसरा सं0 और प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	23/467 रकबा 0.07 है0 का सम्पूर्ण भाग 700 वर्गमीटर, 24/468 रकबा 0.32 है0 का सम्पूर्ण भाग 3200 वर्गमीटर, 25/469 रकबा 0.11 है0 का सम्पूर्ण भाग 1100 वर्गमीटर अर्थात कुल 5000 वर्गमीटर
	(ग) प्रत्येक खसरा सं0 क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल हैक्टेयर या वर्ग मीटर में। टिप्पणी :– अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग के सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	23/467 रकबा 0.07 है0 का सम्पूर्ण भाग 700 वर्गमीटर, 24/468 रकबा 0.32 है0 का सम्पूर्ण भाग 3200 वर्गमीटर, 25/469 रकबा 0.11 है0 का सम्पूर्ण भाग 1100 वर्गमीटर अर्थात कुल 5000 वर्गमीटर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शिक्षण संस्थान
5	संदेय प्रीमियम की दर	129.62 रूपये प्रति वर्गमीटर

Rajeswar Folder 2012 / Letter File CONVERSION

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज0

6	चालान संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमीयम की रकम	चालान सं0 0006001861 दिनांक 24/04/2015 10000/- एवं चा0 सं0 0017329151 दिनांक 16/06/2017 राशि 638100/- कुल राशि 648100/-
7	चालान संख्या तथा तारीख सहित शास्ती यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	बिन्दु सं0 6 मे वर्णित कुल राशि मे सम्मिलित है।
8	चालान संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	नहीं
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	हॉ
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	आवेदक द्वारा उप नगर नियोजक अलवर के पत्रांक एएलआर /168 दिनांक 27/02/2017 की पालना मे सड़क विस्तार हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क राज्य सरकार को समर्पित कर दी गई है। जिसका राजस्व रिकार्ड मे अमल भी हो चुका है। जिसका नया खसरा नम्बर 23/467/494 रकबा 0.05 कायम किया जा चुका है।

11 उक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन आदेश निम्न शर्तो के अधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्वअनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष के कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत कर लिया जावेगा।
3. नियम सं0 4 मे वर्णित संपरितर्वन प्रयोजन के अतिरिक्त उक्त भूमि का उपयोग अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।
4. बहरोड़ से नारनौल को जाने वाली सड़क जिसका मार्गाधिकार 60 मीटर है। सड़क के मध्य रेखा से 30 मीटर भूमि सड़क विस्तार हेतु आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित कर दी गई है। इसके अलावा 30 मीटर भूमि ग्रीन बफर हेतु आरक्षित रखी जावेगी। ग्रीन बफर मे किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
5. प्रार्थी द्वारा (संलग्न मानचित्र अनुसार) राजस्थान मॉडल भवन विनियम 2010 के अनुसार भूखण्ड पर निम्नानुसार सैट - बैक रखे जावेगे।
   (i) फ्रन्ट - 30 मीटर (ग्रीन बफर)
   (ii) शेष तीनो तरफ 9-9-9 मीटर।
   (iii) अन्य मापदण्ड - भवन विनियम के अनुसार।
6. प्रस्तावित भूमि हेतु मानचित्र सक्षम स्तर से अनुमोदित करनवाने होगे। भवन का निर्माण स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार किया जावेगा।
7. प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एवं भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न आई.एस. कोड के उपबन्धों एवं निर्धारित मापदण्डों की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित करनी होगी। जिसके लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

उप खण्ड अधिकारी
बहरोड (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर) राज0

	8. प्रार्थी द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उक्त अधिनियम के तहत बने नियमों आदि (यदि लागू होते हैं) के सभी सम्बन्धित प्रावधानों की दृढतापूर्वक पालना की जावेगी।

विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बहरोड़

उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर) राज.

क्रमांक :– भू0रू0 /2017/ 170 – 173 दिनांक :– 6 / 7 /2017

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (भू0रू0) अलवर।
2. ग्राम पंचायत भगवाड़ी खुर्द तहसील बहरोड़
3. आवेदक सत्यम शिवम शिक्षा समिति ग्राम जखराना तहसील बहरोड़ जिला अलवर जरिये चेयरमैन राजकुमार पुत्र श्री झाबर सिंह निवासी मौहल्ला गुरूनानकपुरा नारनौल जिला महेन्द्रगढ।
4. तहसीलदार बहरोड़ को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि संपरिवर्तित भूमि का नामान्तरणकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बहरोड़